

| आदेश की क्रम सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित |
|---------------------------|--|--|
| <p>28.4.23</p> | <p>अभिलेख उपस्थापित / घाना प्रणाली के ऑनच प्रतिवेदन सं० आर० संख्या - 966/22 में प्रतिवेदित किया है कि द्वितीय पक्ष का अर्थ निर्मित मकान बना हुआ है एवं रूपल में विधि-0यवस्था एवं शोति-0यवस्था भंग होने की संभावना नहीं है। घाना प्रणाली ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि रूपल पर आय-144 द० 50 ख० लागू नहीं की जा सके हैं। इससे अज्ञात होता है कि रूपल पर आय-144 द० 50 का लागू कसा उचित जतिन नहीं होता है। अतः पाद की कार्यवाही को समाप्त कर अभिलेख को बन्द किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित । अनु. द० 50 गिरिह / अनु. द० 50 गिरिह /</p> | |